सभी Pet Shop स्वामियों हेतु सूचना

सभी Pet Shop स्वामियों को सूचित किया जाता है कि, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 213/2018 पर दिनांक 02-11-2018 को निर्गत आदेशानुसार, Pet Shop Rules, 2018 के अनुरुप अपंजीकृत Pet Shops को बन्द किये जाने के आदेश दिये गये हैं। नवीन कानूनी प्राविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :-

1. प्रत्येक Pet Shop स्वामी द्वारा अनिवार्य रुप से, राज्य पशुकल्याण बोर्ड अन्तर्गत पंजीकरण कराते हुए, Pet Shop में प्रमुख स्थान पर विक्रय हेतु प्रस्तुत प्रजातियों का विवरण युक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र को प्रदर्शित किया जाय।
2. स्थायी पक्की दुकान के भीतर ही Pet Shop का संचालन अनुमन्य है।
3. Pet Shop में गर्भवती मादा पशुओं, प्रसूताओं, नवजात शिशुपशुओं (new borns before the age of weaning), अंग-भंग युक्त पशुओं तथा रोगी पशुओं का प्रदर्शन अवैध है। पंजीकृत पशुचिकित्सक द्वारा स्वस्थ घोषित पशुओं का विक्रय ही वैध है।
4. Pet Shop में आपात्कालिक परिस्थिति के समाधान हेतु पशुचिकित्सक का नाम, पता तथा दूरभाष संख्या स्पष्ट रुप से प्रदर्शित करते हुए, रोगी पशुओं हेतु पृथक से isolation area उपलब्ध कराना आवश्यक है।
5. Pet Shop में प्रदर्शित समस्त पशुओं को उनकी प्रजाति, आयुवर्ग, आकार एवं लिंग के आधार पर पृथक-पृथक समूहों में रखते हुए, नियमानुसार उचित आवासीय व्यवस्था, तापमान, प्रकाश, स्वच्छता एवं Ventilation की व्यवस्था उपलब्ध कराना आवश्यक है।
6. Pet Shop में रात के समय रखे गये पशुओं की देखरेख हेतु सुयोग्य, सजग, समर्पित एवं निपुण स्टाफ होना आवश्यक है।
7. Pet Shop में प्रदर्शित पशुओं हेतु निर्धारित कम्पार्टमेंट में, विक्रय हेतु प्रस्तुत अन्य वस्तुओं (pet articles/ shampoo इत्यादि) का प्रदर्शन एवं Pet Grooming का कार्य अवैध है। Pet Shop में Pet Grooming का कार्य किये जाने पर पंजीकरण प्रमाण पत्र में इसका उल्लेख होना आवश्यक है।
8. Pet Shop में एक ही कम्पार्टमेंट में शत्रुप्रजाति के पशुओं (inimical animals) को साथ-साथ रखा जाना अवैध है।
9. Pet Shop द्वारा अवयस्क व्यक्तियों को पशु विक्रय नहीं किया जायेगा।
10. Pet Shop में विक्रय हेतु प्रस्तुत विभिन्न प्रजाति के पशुओं की संख्या तथा उनका मूल्य प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है।
11. प्रत्येक पशु के विक्रय में क्रेता को रसीद दिया जाना तथा रसीद की द्वितीय प्रति संरक्षित रखा जाना अनिवार्य है।
12. पशु विक्रय के प्रत्येक प्रकरण में क्रेता को विक्रय किये गये पशु के टीकाकरण, कृमिरोधी दवापान से सम्बन्धित रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुए पशु से सम्बन्धित उपयोगी जानकारियां उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
13. Pet Shop द्वारा पंजीकृत डॉग ब्रीडर से ही उपार्जित शिशु श्वानपशुओं (Pups) का विक्रय किया जाना अपेक्षित है।
14. Pet Shop द्वारा विक्रय न हो पाने वाले पशुओं का उचित पुनर्वास किया जाना आवयक है।
15. क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी (Jurisdictional Veterinary Officer) द्वारा समय-समय पर Pet Shop का निरीक्षण किया जाय
16. पशु क्रूरता के प्रकरण में किसी भी कानूनी प्राविधान के अनुरुप सिद्धदोष व्यक्ति, Pet Shop के संचालन हेतु अयोग्य होगा।

अपील : पशुप्रेमियों से अपील है कि धोखाधड़ी एवं पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता की रोकथाम हेतु पंजीकृत Pet Shop से ही पशु खरीदें।

उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड
Uttarakhand Animal Welfare Board

शीर्ष तल, पशुधन भवन, मोथरोंवाला, देहरादून – 248001

दूरभाष : 0135 2535850 फैक्स : 0135 2532811 E-mail: uttarakhandawb@gmail.com

website : http://ahd.uk.gov.in/pages/display/132-uttarakhand-animal-welfare-board